AD(R)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प0 3(212)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक : 5 AUG 2014

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय स्तर पर भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14 (ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त/निरस्त योग्य भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावें।
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6) (बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6) (सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावें।

किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

5/8/14

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण,/जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/तृतीय एवं उपशासन सचिव-द्वितीय नगरीय विकास विभाग।
7. वरिष्ठ उपशासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
8. सचिव, समस्त नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि सभी नगर निकायों को अपने स्तर से उपरोक्त पत्र की प्रति प्रेषित कर अवगत करावे।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक एवं अन्य अधिकारीगण नगरीय विकास विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

5/8/14

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय